



C.F.B 201

(B6)

सम्झ न्यायालय श्रीमान कमिशनर महोदय, जबलपुर ₹५००/-

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक-

: A/1045-108

अधीक्ष 1045-108

आवेदक

श्री विहारी लाल
जमा दिनांक 29/8/08
मो. प्रबन्ध 1045-108
उमेर ५५

विश्व

:

बिहारीलाल पटेल पिता स्व० श्री बैशाख
लाल पटेल निवासी- पटेल नगर सुहागी
जिला जबलपुर ₹५००/-

मध्यप्रदेश शासन

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 47(4) भारतीय स्टाम्प अधिनियम

29/8/08

यह पुनरीक्षण माननीय स्तम्भस्तो अपौरियाकलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 15/सी-132/2007-2008 के आदेश दिनांक 6/5/08 पक्षकार म०५० शासन विश्व बिहारी लाल वालों द्वारा व्यक्ति होकर माननीय न्यायालय के समझ निम्न आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत की जा रही है।

प्र० यह कि, आवेदक नेदिनांक 20/9/07 को स्टाम्प 25,005/- रुपये का स्टाम्प क्रय किया था जो कि स्टाम्प बेण्डर दिलीप जैन के घर से क्रय किया था एवं उक्त स्टाम्प पर विक्रय हेतु अभिलेख दर्शित कर लिया है एवं माननीय उपर्यंजीयक महोदय के समझ दिनांक 22/9/2007 को प्रस्तुत किया था जिसमें माननीयउपर्यंजीयक महोदय ने उक्त भूमि का पंजीयन नहीं किया गया था। और आवेदक को यहबताया कि जोजमीन की रजिस्टरी होना है। उसमें विक्रेता ने इस संबंध में एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया कि यह जमीन उसके पूर्वजो की हक व मालिकाना हक की है प्रत्यक्ष उपर्यंजीयक महोदय द्वारा उक्त विक्रय विलेख का पंजीयन नहीं किया गया जबकि आवेदक ने उक्त भूमि के संबंध में निर्धारित मूल्यांकन सहित स्टाम्प उपर्यंजीयक महोदय



मध्य

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व भण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक अपील 1045—एक / 08

जिला — जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अग्रिमापकों आदि के हस्ताक्षर
25-5-16	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता दिनांक 16-9-11 को उपस्थित थे किंतु उसके बाद लगातार अनुपस्थित हैं। आवेदक को उक्त दिनांक के बाद कई बार सूचना पत्र जारी किया गया किंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रुचि नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p>दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदरमुख</p> <p style="text-align: left;"></p>	